हैं । इन पर रेड करना चाहिए । जो छोटे-छोटे सेलर्स हैं उनको इसमें मुनाफा ज्यादा मिलता है क्योंकि वे सी०एस०टी० नहीं भरते, उन पर सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता है । इसलिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए आप ये सब चीजें जब नया कानून लायें तो उसमें यान देकर ले जाइये । एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइए और जो जो कम्प्लेंटस आपके पास आये उनकी निश्चित समय मर्यादा में निकालें ऐसी भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है । आप यह करेंगे इसीलिए यह जो मेरा अमेंडमेंट है इसे मैं वापस लेता हूं । आई एम नाट मूविंग ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपके दो अमेंडमेंटस हैं, 4 और 5 ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैं कोई मूव नहीं कर रहा हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I shall now put Clause 3 to vote.

The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 1991.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, we take up the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 1991. Shri Sitaram Kesri.

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"जम्मू और काश्मीर राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जनजातियों को शामिल करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

महोदय, यह विधेयक लाने का जो उद्देश्य है वह मैं आपके सामने विदित करता हूं ।

जम्मू-कश्मीर राज्य में गूजर तथा बकरवाल, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किए गए थे और तदनुसार इन समुदायों को संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न संरक्षणों के फायदे प्राप्त नहीं थे। जम्मू काश्मीर की राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी । इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को सम्मिलित करने के लिए लगातार मांग की जा रही थी । चूंकि लोक सभा विघटित कर दी गयी थी और राज्य सभा सत्र में नहीं थी अतः पूर्वोक्त परिस्थितियों में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991 (1991 का अध्यादेश संख्यांक 3) को प्रख्यापित करना आवश्यक हो गया ।

यह विधेयक, उपर्युक्त अध्यादेश को, जहां तक उसका संबंध संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1989 के संशोधन से है, प्रतिस्थापित, करने और गद्दी तथा सिप्पी समुदायों को उक्त आदेश में, अनुसूचित जनजातियों की सूची में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, सम्मिलित करने के लिए भी है ।

[श्री सीताराम केसरी]

The question was proposed

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है कुछ जातियों को अनुसूचित जातियां घोषित करने के लिए, गूजर, बकरवाल, गददी और मिप्पी को, यह काम उनका अच्छा है और मैं इसकी तारीफ करता हूं ।

लेकिन, मान्यवर, इस देश में इस प्रकार की और बहुत सी जातियां हैं, अनेक जातियां हैं । मैं समझता हूं कि जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, जिन जातियों को मंत्री जी आप सम्मिलित कर रहे हैं, अनुसूचित जातियों की श्रेणी में इनसे ज्यादा खराब है एक थारू जाति है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में भी होगी थारू जाति और पूर्वोत्तर में थारू जाति है । इनका आर्थिक समाजिक तथा शैक्षणिक स्तर अत्यंत ही दयनीय है ।

दूसरी जाति है भर जाति, जिसे राजभर भी कहते हैं । यह विशेष करके उत्तर प्रदेश में है और जहां तक मेरी जानकारी है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई वर्ष पूर्व अपनी संतुति भेजी है कि भर जाति, जिसे राजभर भी कहते हैं इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाए ।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें । इस तरह की अगर कोई संतुति उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो राजभर जाति को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का कष्ट करें । मैं यह भी चाहूंगा कि वह इस तरह का सर्वेक्षण करवायें । सौभाग्य से यह विभाग आपके हाथ में है—इस तरह का पूरे देश में सर्वेक्षण करवायें । जो इस तरह की जातियां हैं, उनको अनुसूचित जाति में और जनजाति में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन करें । लेकिन, महोदय, जो सब से आवश्यक चीज मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में बहुत सी जातियां पहले ही हैं और इस श्रेणी में सम्मिलित करने का केवल एक उद्देश्य यह होता है कि उनके रहन-सहन के तथा समाजिक स्तर को ऊंचा उठायें । इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए, नौकरियों में इनके लिए संरक्षण किया जाए और नौकरियों में इनको स्थान दिया जाए ।

लेकिन, महोदय, इतने वर्षों के बाद भी, 40–42 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला और स्थान भरे नहीं गये ।

कल ही, मान्यवर, लोक सभा में यह प्रश्न उठा था और वहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरियों में क्या उनका कोटा पूरा कर दिया गया है ?

इसका उत्तर देते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, श्रीमती मारग्रेट आल्वा, ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिक्त आरक्षित पदों को भरने की दिशा में प्रयत्नशील है । इसलिए उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

मैं नहीं समझता मान्यवर, कि ऐजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ऐज की क्वालिफिकेशन होती है, हाईट की क्वालिफिकेशन होती है, अब अलग से सरकार कौन सा प्रशिक्षण चलाएगी, मुझे तो यह लगता है कि इस सरकार का इरादा, सरकार की नीयत अच्छी नहीं है । राजनीतिक दृष्टिकोण से तो इन्होंने आरक्षण किया अनुसूचित जाति की श्रेणी में कुछ जातियों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव कर दिया, संविधान संशोधन का प्रस्ताव कर दिया है, लेकिन सरकार की नीयत अच्छी नहीं मालूम पड़ती । क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरी है उसमें अनुसूचित जाति और जन जाति का कोटा सरकार अब तक पूरा नहीं कर सकी है और सरकार ने अगर चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति और जन जाति का कोटा पूरा नहीं किया है तो इस तरह से संवैधानिक संशोधन चाहे जितने होते रहेंगे उसका कोई लाभ नहीं मिलने

वाला है । मैं इस पर कोई लंबी बहस न चला कर, एक ग्रांत चाज आपके माध्यम से मंत्री जी से और इनकी सरकार से निवदन करना चाहता हूं कि सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ लोगों के लिए नेशनल फ्रंट की सरकार ने मंडल कमीशन लागू करने के लिए इस सदन में घोषणा की थी और प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से और सरकार की नीयत से मुझे लगता है कि सरकार मंडल कमीशन को लागू करने से पीछे हट रही है। क्योंकि मान्यवर, जब इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट में यह केस था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहा कि सरकार का दृष्टिकोण मंडल कमीशन के बारे में क्या है तो सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और विवश हो करके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे की कोई तारीख संभवत: 6 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है उस दिन तक सरकार अपना दृष्टिकोण बताए। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण पिछड़ी जातियों के संबंध में साफ नहीं मालूम पड़ता, इनकी नीयत अच्छी नहीं मालूम पड़ती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा यह उस विचारधारा के हैं कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए और मैं जानता हूं कि इनके हृदय में जरूर होगा कि मंडल कमीशन लागू करने की जो घोषणा कर दी गई है वह बरकरार रहनी चाहिए ।

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करूंगा कि मंडल कमीशन लागू करने की नेशनल फ्रंट की सरकार ने जो घोषणा की थी अब उससे पीछे मत हटिए और जितनी सुविधा लोगों को देना चाहते हैं बड़ी जाति के लोगों को, फार्वर्ड क्लास के लोगों को, उनके लिए आरक्षण करिए, मुसलमान के लिए आरक्षण करिए, महिलाओं के लिए आरक्षण करिए और दूसरे लोगों के लिए आरक्षण करिए, लेकिन जो मंडल कमीशन की घोषणा हो चुकी है उससे सरकार पीछे न हटे, यह मेरा अनुरोध है । धन्यवाद ।

श्री जी० स्वामी नायक (आंध्र प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे आपने इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया । मैं इस सरकार द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991 जो पेश किया है, उसका स्वागत करता हूं । मान्यवर, सरकार ने अप्रैल में जम्मू-काश्मीर और कर्नाटक में कुछ जातियों को अनसूचित जनजाति में मिलाने के लिए एक अध्यादेश 19 अप्रैल को निकाला जबकि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके थे और ऐसे समय में कुछ जातियों को जनजाति की सूची में मिलाने का उद्देश्य जो उस वक्त चन्द्रशेखर की केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसके जरिए अध्यादेश लाय गया, ठीक है ।

महोदय, जनजाति से मेरा संबंध है और कुछ पिछड़ी जातियों को जनजाति में सम्मिलित करने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज विधेयक पेश होने के टाइम पर कर्नाटक की कुछ जातियां, जो 19 तारीख के अध्यादेश में आई थीं, वे आज के विधेयक में नहीं हैं । कारण बताया गया है कि और जातियों को राज्य सरकार की सिफारिश और उनकी जांच-पड़ताल के बाद लाया जाएगा । श्रीमान् यह समझ में नहीं आया कि एक ही अध्यादेश में कर्नाटक की बाल्मिकी, नाइक और नाइकी को लाया गया है और जम्मू-काश्मीर में गूजर और बकरवाल --इन दो कौमों को शामिल किया गया है, लेकिन आज जब जम्मू काश्मीर में गूजर और बकरवाल जो उस अध्यादेश में थे, इस विधेयक में गद्दी और सिपी जातियों को भी जोड़ा गया है । यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है । महोदय, इस विषय में कई संस्थाओं, भारत की अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भारत सरकार से मांग की जाती रही है। अभी मेरे मित्र ईश दत्त यादव साहब ने कहा कि 19 पिछड़ी जातियां हैं जो छूटी हुई हैं, इनको सम्मिलित करने के लिए बार-बार सरकार को मेमोरेंडम देते आ रहे हैं । महोदय, आज आजादी के 44 साल बीतने के बावजूद लोगों के प्रतिनिधि मंडल सरकार को मिल रहे हैं और प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है । मसलन एक बंजारा जाति एक राज्य में

[श्री स्वामी नायक]

आदिवासी की सूची में है, कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में है और कुछ राज्यों में पिछड़ी हुई जाति की सूची में है । इन सब को मिलाकर अनुसूचित जनजाति की सूची में लाने के लिए सरकार से बार-बार प्रार्थना की गयी है, कई बार सम्मेलन द्वारा प्रार्थना की गयी है, प्रधान मंत्री जी को प्रतिवेदन दिए गए हैं, इस सभा के द्वारा प्रार्थना की गयी है। और-तो-और पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को सलाह दी थी कि वहां पर जो बाजीगर विमुक्ति जाति के लोग अनुसूचित जाति की सूची में हैं, उनको अनुसूचित जन-जाति की सूची में लाना चाहिए । ऐसी भी सिफारिश सरकार को की गयी, उसके बावजूद भी ये सारी बातें सरकार सभा के सामने नहीं लाई है और इस बारे में कांप्रिहेंसिव विधेयक लाने के लिए बार-बार प्रतिवेदन दिए जाते हैं।

महोदय, मुझे आज खुशी है कि माननीय मंत्री श्री केसरी जी हैं और नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री हैं । लेकिन ये छोटे-छोटे बिल जैसे कभी कश्मीर का ले आए, कभी मिजोरम का ले आए, कभी गोवा का ले आए, इसके बजाय मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक कांप्रेहेंसिव बिल लाया जाय । महोदय, राजीव गांधी की सरकार में जब बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे उनकी अध्यक्षता में केबिनेट की सब-कमेटी इन सारी चीजों की जांच पड़ताल के लिए बनी थी । उस सब कमेटी ने काफी जांच-पड़ताल के बाद सरकार को रिपोर्ट दी और वह बिल लाना बाकी था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त सरकार के गिरने की वजह से, वह सामने नहीं आ सका । उसके बाद इन जातियों को अध्यादेश द्वारा लाया गया और आज बिल लाया गया है ।

मैं इसके लिए स्वागत करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो रिपोर्ट आपके पास धरी हुई है, उसको राजनीतिक दृष्टि से सुधारने की आज जरूरत है । अगर उसको ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ देंगे तो और कई साल लग जाएंगे और जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो इससे वंचित हैं, वैसे ही रह जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केसरी जी से और नरसिंह राव जी की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दें क्योंकि इस अध्यादेश में लाई गई जातियों को भी निकाला गया है, अध्यादेश में लाने के बाद उन्हें जो सहूलियतें मुहैया की गई थीं, लेकिन अब बिल बन जाने की वजह से कर्णाटक के नायक, नायका और बेदार लोग इससे वंचित हो जाएंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपको कितना टाइम लगेगा?

श्री जी० स्वामी नायक : अंत में, मैं केसरी जी, मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि आने वाले सत्र में या इस सत्र तक जो है एक कांप्रेहेंसिव शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स (अमेंडमेंट) बिल लाएंगे और उन सारी जातियों को जो छूटी हुई हैं शामिल करेंगे ताकि उन सारे लोगों को फायदा हो सके। इस आश्वासन की मांग के साथ ही मैं सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The debate on the Bill will continue. In between we have a statement by the Minister of Agriculture, Shri Balram Jakhar.

STATEMENT BY MINISTER DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): Sir, I seek leave of the House to make a statement on the rainfall situation in the country during the current southwest monsoon.

The forecast for the south-west monsoon made by India Meteorological Department (IMD) on the 27th May, 1991 is that the quantum of rainfall in the coun-